

2018/00020

17/04
8/2/18 (82/18)

न्यायालय तहसील (राजस्व) लूनकरणसा, जिला बीकानेर

सरकार

वनाम श्री देवीलाल डा० जुगलकिशोर (रा० प्र०) 61.58

किस्म मुकदमा - आरसी.स. 1054 की धारा 22 एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 91

मुकदमा नम्बर 12/18 वर्ष 2018 फसल 2 वरी 15

आदेश दिनांक कार्यवाही विवरण आदेश की तालीम

22/1/18

पटवारी हल्का 3507
की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीब की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने
ग्राम/चक 5452114 के
खसरा नं./मु.नं. 168

तादादी 0.10 बीघा
राजकीय भूमि पर सम्बत 2074 में
नाजायज कब्जा कर ~~कम~~ कर ली। अप्रार्थी को धारा 22/91 के तहत नोटिस
जारी किया जावे एवं भू अभिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क कर हेतु लिखा
जम्मे पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/2/18 को पेश हो।

जे. भू. पत्रावली

14
22/1/18

8/2/18

6 मावली पेश हुई। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर
इसके फलतः यह रिपोर्ट गैर ग्राह्य को शामिल
निकल दिया गया। इस प्रकार का निरीक्षण
इसके तहत किया जाकर शामिल मिलता दिया
गया।

8/02/2018

ब. रजिस्टर के फाइल
109 के फाइल 12 पर
मांग कायम की गयी
12/1/18

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या: 12 / 2018

दिनांक: 8/2/18.

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ... ने रिपोर्ट (पी-4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल ...
डेवीलाल पुत्र ... जाति ... साकिन ...
... ने ग्राम ... के खसरा नं० 168 ...
रकबा ... बीघा जोहड़ पायतन, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में
काश्त/बाड्डा/कच्चा/पक्का मकान निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बन्धित गैर सायल का रा.भू.रा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबंधित गैरसायल उपरिथत। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बन्धित गैर सायल ... पुत्र श्री ... जाति ... साकिन ... ग्राम ... खसरा नं० 168 ... रकबा 0.10 ... बीघा के अतिचार करने पर राज. भू-राजस्व, अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू-राजस्व ... का 50 गुणा रूपये 13/... शास्ति से दण्डित किया जाता हैं। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली बाबत संबंधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली बाबत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बाबत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)
लूनकरनसर